भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5214
बुधवार, दिनांक 02 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>असम में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं</u>

5214. श्री अमरसिंग टिस्सो: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) असम में विशेषकर कार्बी आंगलोंग तथा दीमा हसाओं जिलों में चल रही और प्रस्तावित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेषकर दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों में सौर, पवन और लघु जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान असम में नवीकरणीय ऊर्जा विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई;

(घ) क्या सरकार इस क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए स्थानीय उद्यमियों और स्टार्टअप्स को कोई वित्तीय या तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है; और

(ड़) असम के दूरदराज के क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए ऑफ-ग्रिड और मिनी-ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा समाधान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) असम राज्य में चल रही और स्वीकृत अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं, जो कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों के लिए भी उपलब्ध है, का ब्यौरा अनुलग्नक-**I** में दिया गया है।

(ख) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। इन योजनाओं का विवरण अनुलग्नक-**II** में दिया गया है। वर्तमान में पवन एवं लघु जल विद्युत पर कोई विशेष योजना नहीं है।

(ग) एमएनआरई ने पिछले तीन वर्षों (अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-24) के दौरान असम में विभिन्न अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के अंतर्गत 35.40 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

(घ) स्थानीय उद्यमियों और स्टार्टअप्स को भी एमएनआरई द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति है। तथापि, उनके लिए अलग से वित्तीय सहायता का कोई प्रावधान नहीं है।

स्थानीय उद्यमी और स्टार्टअप भी अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अपने कौशल विकास के लिए मंत्रालय के मानव संसाधन विकास (एचआरडी) कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं।

(ङ) असम राज्य सहित ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों के लिए ऑफ-ग्रिड और मिनी-ग्रिड अक्षय ऊर्जा समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय निम्नलिखित योजनओं को कार्यान्वित कर रहा है:

(i) सिंचाई के लिए स्टैंड अलोन सौर पंपों की स्थापना हेतु पीएम कुसुम घटक-ख

(ii) नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय और पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए) घरों के विद्युतीकरण (स्टैंडअलोन सौर घरेलू प्रकाश व्यवस्था या सौर माइक्रोग्रिड के माध्यम से) के लिए और चिन्हित पीवीटीजी और जनजातीय क्षेत्रों में बहुउद्देश्यीय केंद्रों और सार्वजनिक संस्थानों का सौरीकरण।

(iii) राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम जिसमें प्रचालन की विकेन्द्रीकृत विधि सहित बायोमास, अपशिष्ट से ऊर्जा और बायोगैस घटक शामिल हैं।

अनुलग्नक-I

'असम में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं' के संबंध में पूछे गए दिनांक 02.04.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5214 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

असम राज्य में चल रही और स्वीकृत अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का ब्यौरा जोकि कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों के लिए भी उपलब्ध हैं

पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (दिनांक 28.03.2025 की स्थिति के अनुसार)

राष्ट्रीय पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की संख्या	308,949
रूफटॉप सौर की स्थापना से लाभान्वित हुए परिवार	11,179

पीएम कुसुम:

घटक-क के अंतर्गत स्वीकृत सौर संयंत्रों की क्षमता क्षमता (मेगावाट)	2
घटक-ख के अंतर्गत स्वीकृत स्टैंड-एलोन सौर जल पंप(संख्या)	4000

बायोगैस कार्यक्रम:

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वन विकास एजेंसी (सामाजिक वानिकी) का वार्षिक लक्ष्य	63

अनुलग्नक-**II**

'असम में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं' के संबंध में पूछे गए दिनांक 02.04.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5214 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**II**

असम राज्य सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए चल रही प्रमुख योजनाओं का ब्यौरा

(i) पीएम-कुसुमः

पीएम-कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) योजना लघु ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्रों (घटक-क) को बढ़ावा देने, स्टैंड-अलोन सौर-संचालित कृषि पंपों (घटक-ख) की स्थापना और फीडर-स्तरीय सौरीकरण (घटक-ग) सहित मौजूदा ग्रिड कनेक्टेड कृषि पंपों के सौरीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है।

सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता/प्रोत्साहन निम्नानुसार हैः

(i) घटक के अंतर्गतः किसानों की बंजर/परती/चारागाह/दलदली भूमि पर विकेन्द्रीकृत ग्राउंड/स्टिल्ट-माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए डिस्कॉम को पांच वर्षों के लिए 0.40 रु. प्रति यूनिट की दर से खरीद आधारित प्रोत्साहन (पीबीआई) प्रदान किया जाएगा। ऐसे संयंत्र व्यक्तिगत किसान, सौर ऊर्जा डेवलपर, सहकारी समितियां, पंचायतें और किसान उत्पादक संगठन द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं। डिस्कॉम को प्लांट के वाणिज्यिक संचालन की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए पीबीआई दिया जाता है। इसलिए, डिस्कॉम को देय कुल पीबीआई 33 लाख रुपये प्रति मेगावाट तक है।

(ii) घटक ख और घटक ग दोनों के अंतर्गत पूर्वोत्तर/पहाड़ी/द्वीपीय क्षेत्रों में 7.5 एचपी क्षमता तक के कृषि पंप स्थापित/सौरीकरण करने वाले सभी व्यक्तिगत किसानों को बेंचमार्क लागत या निविदा लागत का 50%, जो भी कम हो, सीएफए प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, 15 एचपी तक की पंप क्षमता के लिए सीएफए उपलब्ध है, हालांकि, यह राज्य में कुल स्थापनाओं के 10% तक सीमित होगा।

घटक ग के अंतर्गत फीडर लेवल सौरीकरण के तहत सौर विद्युत संयंत्र की लागत 3.5 करोड़ रुपये मेगावाट/ मानते हुए सीएफए की गणना की जाती है। अतः, पूर्वोत्तर राज्यों को 1.75 करोड़ रुपये मेगावाट का/ सीएफए प्रदान किया जा सकता है। (सामान्य राज्यों में सीएफए 1.05 करोड़ रुपये(मेगावाट है/।

(ii) पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना:

इस योजना के अंतर्गत, आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप सौर परियोजनाओं को सहायता दी जा रही है। इस योजना के अतर्गत सीएफए राशि का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	आवासीय खंड का प्रकार	पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी राज्यों में सीएफए
1.	आवासीय क्षेत्र (प्रथम 2 किलोवॉट पीक)	33,000 रुपये/केडब्ल्यूपी

2.	आवासीय क्षेत्र (अतिरिक्त 1 किलोवॉट पीक)	19,800 रुपये/केडब्ल्यूपी
3.	आवासीय क्षेत्र (3 किलोवॉट पीक से अधिक)	कोई अतिरिक्त सीएफए नहीं
4.	जीएचएस/आरडब्ल्यूए आदि, सामान्य सुविधाओं के लिए 500 किलोवॉट पीक तक (प्रति घर 3 किलोवॉट पीक की दर से)	19,800 रुपये/केडब्ल्यूपी

इसके अतिरिक्त, डिस्कॉम/स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन, आदर्श सौर गांव का विकास, नवीन परियोजनाएं, भुगतान सुरक्षा तंत्र, क्षमता निर्माण, जागरूकता और आउटरीच आदि के लिए भी सहायता उपलब्ध है।

(iii) सौर पार्क:

सौर पार्क योजना के तहत डीपीआर तैयार करने (प्रति सौर पार्क 25 लाख रुपये तक) और अवसंरचना विकास (प्रति मेगावाट 20 लाख रुपये या परियोजना लागत का 30%, जो भी कम हो) के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

(iv) प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय और पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए)

इस योजना के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा चिन्हित जनजातीय और पीवीटीजी क्षेत्रों में एक लाख गैर-विद्युतीकृत घरों (एचएच) को ऑफ-ग्रि सौर प्रणालियों के माध्यम से विद्युतीकृत किया जाएगा। इस योजना में प्रधानमंत्री जनमन के तहत स्वीकृत पीवीटीजी क्षेत्रों में 1500 बहुउद्देश्यीय केंद्रों (एमपीसी) में ऑफ-ग्रिड सौर प्रकाश व्यवस्था प्रदान करने का प्रावधान शामिल है। इसी प्रकार, इस योजना में डीए डीए जेजीयूए के तहत अनुमोदित ऑफ ग्रिड सौर प्रणालियों के माध्यम से-2000 सार्वजनिक संस्थानों का सौरीकरण करने का प्रावधान भी शामिल है। ऑफ ग्रिड सौर प्रणालियाँ केवल वहीं प्रदान की जाएँगी-जहाँ ग्रिड के माध्यम से विद्युत आपूर्ति तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। पीएम जनमन और पीएम जेजीयूए के तहत योजना के लिए स्वीकृत वित्तीय परिव्यय नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	घटक	केंद्रीय हिस्सा (100%)	स्वीकृत वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपए में)	समयसीमा
1	1 लाख जनजातीय और पीवीटीजी परिवारों के लिए 0.3 किलोवाट सौर ऑफ-ग्रिड प्रणाली का प्रावधान	50,000 रु. प्रति घर या वास्तविक लागत के अनुसार	500	वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26
2	सौर स्ट्रीट लाइटिंग और पीवीटीजी क्षेत्रों के 1500 बहु-उद्देशीय केन्द्रों (एमपीसी) में प्रकाश व्यवस्था का प्रावधान	प्रति एमपीसी 1 लाख रुपये	15	
3	ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों के माध्यम से 2000 सार्वजनिक संस्थानों का सौरीकरण	1 लाख रुपये प्रति किलोवाट	400	वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29

*****